कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन बाण–गंगा भोपाल

क्रमांक 80 / प्र.अ. / विधि(पीए). / लो.स्वा.यां.वि. / 2026 भोपाल, दिनांक 13/02/2026

/ / आदेश / /

इस आदेश के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर की रिट याचिका क्रमांक 3212 / 2023 (दीपक गर्ग व 02 अन्य विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य), जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड मुरैना से संबंधित है, में पारित आदेश दिनांक 07.10.2025 के परिपालन में याचिकाकर्ताओं को देय लाभों का निर्धारण किया जा रहा है।

(1) श्री दीपक गर्ग व 02 अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के समक्ष रिट याचिका क. 3212 / 2023 दायर कर माननीय न्यायालय से निम्न सहायता चाही गई थी :–

> 1. That. a direction may kindly be given to the respondents to approve 90% minimum pay scale of regular post from the date 05/06/2018 with 8% interest to the petitioners.
>
> 2. That, any other relief, which this Hon'ble Court may deem fit and proper may also be given to the petitioners along with costs.

(2) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा उक्त रिट याचिका क्रमांक 3212 / 2023 का निराकरण पारित निर्णय दिनांक 07.10.2025 के माध्यम से किया गया है, जो निम्नानुसार है :–

> "Considering the aforesaid, this petition is disposed of and respondents are directed to extend the benefit of clause 1.14.5 of circular dated 05-06-2018 to the petitioners for the period from 05-06-2018 till 22-07-2023. It is however, clarified that if the petitioners are not entitled for the aforesaid benefit for any other reason, the same be intimated to them to them in writing.
>
> (9) Let the aforesaid exercise be completed within a period of 90 days from the date of submission of certified copy of this order.
>
> 10. With the aforesaid, this petition is disposed of."

(3) याचिकाकर्ताओं को देय लाभों का निराकरण :–

याचिकाकर्ताओं द्वारा म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 05.06.2018 के अनुसार दिनांक 05.06.2018 से दिनांक 22.07.2023 तक की अवधि की नियमित वेतनमान के 90 प्रतिशत वेतन के अनुसार एरियर राशि की मांग की गयी है।

इस कार्यालय द्वारा म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक–सी–5.–2 / 2018 / 1 / 3 / भोपाल, दिनांक 05 जून 2016 का अध्ययन किया गया है। उपरोक्त परिपत्र में निहित प्रावधानों के तारतम्य में वादी कर्मचारी की सेवा (वर्ष 2018 से वर्ष 2023 तक) का अध्ययन करने पर निम्नानुसार तथ्य सामने आते है :–

(i) वादी कर्मचारियों की वर्ष 2010 में नियुक्ति विभाग के अनुमोदित प्रशासनिक सेट अप में चिन्हित स्वीकृत पदों पर नहीं बल्कि, अतिरिक्त रूप से विशेष परिस्थितियों में प्रदेश में हैंडपंप आधारित ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को संभालने हेतु

की गई थी। इस प्रकृति के कर्मचारी को सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 05.06.2018 के प्रावधान लागू नहीं होते है।

(ii) वादी कर्मचारियों एवं उसके समान इसी पद पर कार्यरत अन्य कर्मचारियों को अतिरिक्त समय में अन्य कार्य/व्यवसाय किये जाने पर प्रतिबंध नहीं होने के कारण, ऐसे कर्मचारी म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 05.06.2018 की परीधि में नहीं आते है।

(iii) वादी कर्मचारियों के नियुक्ति आदेश, अनुबंध पत्र एवं कार्य आवंटन आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि उसे एक निश्चित मानदेय राशि (जो समय–समय पर परिवर्तित होती रही है) जिसकी गणना प्रति हैंडपंप के मान से की जानी है, पर नियुक्त किया गया था। विभाग एवं वादी कर्मचारियों के बीच हुये सेवा अनुबंध में भी ''मानदेय के आधार पर हैंडपंप कार्य हेतु तकनीशियनों को रखे जाने हेतु'' उल्लेखित है। नियुक्ति पत्र एवं अनुबंध पत्र दोनों में ही उल्लेख है कि इन कर्मचारियों को अधिकतम 100 हैंडपंपों के संधारण का कार्य आवंटित किया जा सकेंगा। विभाग में हैंडपंपों की संख्या अधिक होने के कारण वादी कर्मचारियों और उसके साथ नियुक्त समान प्रकृति के अन्य सभी हैंडपंप तकनीशियनों को अनुबंध प्रावधान (बिंदु क्रमांक04) अनुसार अधिकतम कार्यो (100 हैंडपंपों का संधारण कार्य एवं देखरेख) का ही आवंटन किया गया है, इसलिये विभाग में मानदेय आधार पर रखे गये सभी हैंडपंप तकनीशियों को एक समान अधिकतम मानदेय राशि का भुगतान प्राप्त हो रहा था। तथापि विभाग इस बात के लिये स्वतंत्र था कि अलग–अलग हैंडपंप तकनीशियों को अलग–अलग संख्या (जो किसी परिस्थिति में अधिकतम अनुबंध संख्या 100 से कम हो सकती है) में हैंडपंपों का संधारण कार्य आवंटित करें। उस स्थिति में इनको प्राप्त होने वाली मानदेय राशि भी अलग–अलग होती। उपरोक्तानुसार वादी के मामले में उसे आवंटित कार्य की मात्रा के आधार पर माह में प्राप्त होने वाला मानदेय भी बदलते रहने की स्थिति थी।

उक्तानुसार स्पष्ट है कि वादी कर्मचारी तत्समय संविदा की श्रेणी में नहीं आता था क्योंकि संविदा कर्मचारी उसे माना जाता था जिसे संपादित कार्य की मात्रा का आंकलन किये बिना मासिक आधार पर एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता था।

(iv) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग के अंतर्गत संविदा हैंडपंप टेक्निशियन को तत्समय कोई वेतनमान नहीं दिया जाता था, ना ही कोई पारिश्रमिक दिया जाता था, बल्कि एक निश्चित सेवा के बदले उन्हें मानदेय का भुगतान किया जाता था। मानदेय एवं पारिश्रमिक दोनों के बीच में अन्तर है :–

पारिश्रमिक :–काम या सेवा के लिए भुगतान किया गया धन, मजदूरी काम या सेवाओं के लिए अर्जित एक निश्चित नियमित भुगतान जो

आमतौर से दैनिक या साप्ताहिक या मासिक आधार पर भुगतान किया जाता है।

मानदेय :—पेंशेवर सेवाओं के लिए दिये जाने वाला भुगतान जो कि नाम मात्र के लिए बिना किसी शुल्क के प्रदान किया जाता है, मानदेय उन सेवाओं के लिए मुआवजा है, जिसका कोई पूर्व निर्धारित मूल्य नहीं है।

(v) विभाग में वादी कर्मचारियों के प्रकृति के किसी भी मानदेय पर कार्यरत कर्मी को पात्रता नहीं होने के कारण पद के नियमित वेतनमान का तत्समय 90 प्रतिशत वेतनमान नहीं दिया गया है।

उपरोक्तानुसार वादी कर्मचारीगण तत्समय संविदा कर्मचारी नहीं थे किंतु यहाँ यह भी उल्लेख कराना आवश्यक है कि वर्ष 2023 में विभाग ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये इस प्रकृति के कर्मचारियों को अति विशिष्ट प्रकरण मानते हुये संविदा कर्मचारी मान लिया है।

(4) उपरोक्तानुसार रिट याचिका क्रमांक 3212/2023 (दीपक गर्ग एवं 02 अन्य विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य) मे पारित निर्णय दिनांक 07.10.2025 के परिपालन में ऊपर उल्लेखित तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ता कर्मचारीगण की सेवाऐं ततसमय म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 05.06.2018 में निहित शर्तो एवं प्रावधानों के अनुरूप नहीं पायी गयी है। अतः सम्पूर्ण विचारोपरांत यााचिकाकर्ता श्री दीपक गर्ग एवं 02 अन्य द्वारा प्रस्तुत दिनांक 05.06.2018 से 22.07.2023 तक की अवधि के नियमित वेतनमान के 90 प्रतिशत एरियर राशि संबंधी दावे को अमान्य किया जाता है।

(5) यदि याचिकाकर्तागण इस कार्यालय द्वारा किये गए इस निराकरण से असंतुष्ट है वह अपनी अपील इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 02 माह के भीतर प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग , वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है।

o/c

13/2

प्रमुख अभियंता

पृ. क्रमांक 1235/ प्र.अ./विधि(पीए)./लो.स्वा.यां.वि. /2026 भोपाल, दिनांक 13/02/26

प्रतिलिपि :—

01 मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिक्षेत्र ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

02 अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग चंबल मण्डल मुरैना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

03 कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड मुरैना की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

04 श्री ...., कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड मुरैना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

o/c

13/2

प्रमुख अभियंता